

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-40/2020

जीसीएमएस न0 2020/00062

उनवान -सरकार बनाम गब्बर खॉ पुत्र श्री जल्लो खॉ विक्रेता एवं मालिक मैसर्स गब्बर मिल्क सप्लायर, करीमपुर तह0 सैपऊ जिला धौलपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -30.12.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री गब्बर खॉ पुत्र श्री जल्लो खॉ विक्रेता एवं मालिक मैसर्स गब्बर मिल्क सप्लायर, करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2019 को अभियुक्त/अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण के दौरान डेयरी में रखे प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 200 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त मिश्रित दूध में से दो लीटर दूध वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-1737 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट एलएस/1011/एसीटी/2019/62 दिनांक 16.01.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नवृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री गब्बर खॉ पुत्र श्री जल्लोखॉ विक्रेता एवं मालिक मैसर्स गब्बर मिल्क सप्लायर, करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11,600/-रुपये (ग्यारह हजार छः सौ रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कौशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)